न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
41/अपील/19	02.04.2019	13.092021

नानगी पत्नी चतरभुज जाति कीर निवासी ब्राह्मणों का लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद आ0 रामलाल जाति कीर निवासी ब्राह्मणों का लुहारिया हाल निवासी दूणी तहसील दूणी जिला टोंक राज.।
2. राज. राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री शम्भूदयाल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण संख्या 5/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश से कृषि भूमि खसरा सख्या 10 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों का लुहारिया मृतक खातेदार रामकंवरी के हिस्से 1/2 पर रेस्पोडेन्ड संख्या 1 प्रहलाद का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 10 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों का लुहारिया के मूल खातेदार चतरभूज आ0 लौधा जाति कीर निवासी ब्राह्मणों का लुहारिया थे। चतरभुज के दो पत्नियां अपीलांट नानगी बाई व मृतक रामकंवरी थी। मूल खातेदार चतरभुज की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण मृतक रामकंवरी हिस्सा 1/2 एवं अपीलांट नानगी हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ। चतरभुज जी के बाद रामकंवरी व अपीलांट नानगी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त हैं। स्वर्गीय चतरभुज जी ने उनके जीवनकाल में कभी किसी को गोद नहीं लिया और न ही मृतक रामकंवरी ने रेस्पोडेन्ड प्रहलाद को गोद लिया हैं। रामकंवरी की मृत्यु दिनांक 27.06.2010 को गई हैं। रामकंवरी की मृत्यु के उपरांत नानगी

हैं चूंकि उपरोक्त भूमि रामकंवरी की स्वअर्जित भूमि नहीं थी। वह भूमि उसे विरासत में स्वर्गीय चतरभुज जी से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार रामकंवरी की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि की एकमात्र स्वामी अपीलांट नानगी हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 द्वारा कथाकथित दस्तावेज गोदनामे की श्रेणी में नहीं आता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2007 के कूटरचित दस्तावेज को गोदनामा मानकर रेस्पोडेन्ड संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया हैं जो त्रुटि पूर्ण हैं। गोदनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक हैं जहां गोदनामा रजिस्टर्ड न हो, वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं हैं। अपीलांट नानगी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया हैं तथा सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय में 62/2012 बउनवान प्रहलाद बनाम नानगी पेश किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा दिनांक 05.06.2015 को रेस्पोडेन्ड प्रहलाद द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा खारिज कर दिया गया हैं। उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी द्वारा कथाकथित गोदनामा दिनांक 15.06.2007 को संदेहास्पद माना गया हैं तथा इसी आधार पर वाद खारिज किया गया हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 1 प्रहलाद ने अपीलांट के विरूद्ध विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार प्रकट करते हुये अपीलांट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 3/19 उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय में दायर किये जाने पर दिनांक 12.02.2019 को अपीलांट सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट ने भमि के राजस्व रिकार्ड के पटवारी हल्का से नामान्तरकरण संख्या 469 की नकल लेने से तहसीलदार हिण्डोली के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर दिनांक 25.03.2019 को नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 खारिज किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने व्यक्त किया कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 विधि अनुकूल हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण में गवाह, सबूतों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया हैं। अतः प्रस्तुत अपील खारिज कर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 यथावत रखा जाता हैं।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित आदेश दिनांक 30.09.2016 से रेस्पोडेन्ड संख्या 1 को मृतक रामकंवरी के स्थान पर खसरा संख्या 10 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों का लुहारिया का नाम 1/2 हिस्से पर अंकित करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होते हैं कि अपीलांट नानगी को बवक्त सुनवाई तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तलब नहीं किया गया हैं। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत यह हैं कि पक्षकारान को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि रेस्पोडेन्ड संख्या 1 द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के यहां खातेदार अधिकार घोषणा का प्रस्तुत किया

... जिसे उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा दिनांक 05.06.2015 को खारिज किया जा ... हैं। उक्त वाद में तहसीलदार हिण्डोली भी पक्षकार थे। उसके 1 वर्ष 3 माह पश्चात ही तहसीदार हिण्डोली द्वारा इसी भूमि के संबंध में निर्णय पारित किया गया हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक रामकंवरी के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलक्टर,
बूंदी